न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–1, पीलीभीत
उपस्थितः–महेन्द्र श्रीवास्तव (एच0जे0एस0)

फौजदारी निगरानी सं0–178/2025

गुलाब सिंह पुत्र श्री बख्शीश सिंह (डायरेक्टर अकबर कैरियर प्रा0लि0) निवासी अमृतपुर थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत।

.....निगरानीकर्ता।

बनाम

1. दीनानाथ कश्यप पुत्र श्री छेदालाल निवासी ग्राम परेवा अनूप थाना बरखेड़ा जिला पीलीभीत।
2. सलीम पुत्र श्री जमील अहमद
3. अकील पुत्र श्री जमील अहमद
4. नदीम पुत्र श्री जमील अहमद
5. सद्दाम पुत्र श्री जमील अहमद
6. श्रीमती इदरीस बेगम पत्नी श्री जमील अहमद
   . निवासीगण ग्राम बरखेड़ा थाना बरखेड़ा जिला पीलीभीत।
7. उ0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर पीलीभीत।

..... प्रत्यार्थीगण

निर्णय

1. प्रस्तुत फौजदारी निगरानी निगरानीकर्ता की ओर से परिवाद सं. 796/ 2022 गुलाब सिंह बनाम दीनानाथ आदि में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट बीसलपुर पीलीभीत द्वारा पारित आदेश दिनॉकित 01.05.2025 से क्षुब्ध होकर योजित की गयी है। उक्त आदेश के माध्यम से विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत परिवाद अंतर्गत धारा 203 दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त कर दिया गया है।

2. मामले के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि परिवादी गुलाब सिंह अम्बर कैरियर प्रा. लि. का डायरेक्टर है। परिवादी की उपरोक्त फर्म ने थाना बरखेड़ा क्षेत्र मे एक डिग्री कालेज अम्बर कोमिल प्रसाद महाविद्यालय बरखेड़ा कलां के संचालन हेतु भूमि बतौर दानपत्र पंजीकृत बैनामे से बरखेड़ा कलां निवासी कोमिल से गाटा सं. 185 रकबा 0.7980हे. ली थी तथा भूमि पर कमेटी के माध्यम से निर्माण कार्य कराने की प्रक्रिया को शुरू करा दिया गया था। उपरोक्त ली गयी भूमि के स्वामित्व के सभी अधिकार परिवादी उपरोक्त फर्म अम्बर कैरियर प्रा.लि. के पास है फिर भी गांव परेवा अनूप पोस्ट पिपरिया मंडन थाना बरखेड़ा निवासी दीनानाथ कश्यप, जो कि प्रबंधक थे जिन्होने नियत मे खोट के चलते तथा परिवादी की संस्था के साथ धोखाधड़ी करते हुए दिनॉक 02.09.2016 को बही सं. 1 जिल्द नं. 5383 पृष्ठ संख्या 193 से 230 पर क्रमांक 8609 पर सलीम, अकील, नदीम, सद्दाम तथा श्रीमती इदरीस बेगम के साथ सांठगांठ करके सलीम, नदीम, सद्दाम व इदरीस बेगम के हक मे बैनामा करा दिया। जबकि दीनानाथ के पास बैनामा कराने का कोई

Digitally signed by MAHENDRA SRIVASTAVA
Date: 2026.07.20 12:30:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विधिक अधिकार नही है जबकि संस्था के बायलॉज मे स्पष्ट दिया है कि संस्था के डायरेक्टर की सहमति के बिना किसी भी सम्पत्ति का अन्तरण नही किया जा सकता है।

3. निगरानी के अनुसार विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉक 01.05.2025 नियम एवं विधिविरूद्ध तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के विपरीत पारित किये जाने के कारण पोषणीय नही है, निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त मामला दीवानी अदालत का मामला नही है और ना ही कोई कब्जे का विवाद है और ना ही निगरानीकर्ता की भूमि का विवाद है। बल्कि विपक्षी सं. 1 दीनानाथ ने संस्था के साथ धोखाधड़ी छलकपट किया है। विपक्षी सं. 2 लगायत 6 से मिलीभगत करके कम दामो मे बैनामा किया है। बैनामा की समस्त धनराशि 28,00,000रू. को हड़प लिया है। अम्बर कोमिल प्रसाद महाविद्यालय के नाम से अब तक कोई भूमि क्रय नही की गयी है। विचारण न्यायालय द्वारा मस्तिष्क का बिना प्रयोग किए आदेश दिनॉक 01.05.2025 पारित किया गया है जो प्रत्येक स्थिति मे निरस्त होने योग्य है। निगरानीकर्ता ने अपने परिवाद के बयान अंतर्गत धारा 200 सीआरपीसी मे स्पष्ट रूप से बताया कि भूमि दानपत्र के माध्यम से अम्बर कोमिल प्रसाद महाविद्यालय के नाम से दीनानाथ विपक्षी सं. 1 ने क्रय की थी। जिसको संस्था के अनुरूप विपक्षी सं. 1 दीनानाथ ने आपस मे विपक्षी सं. 1 लगायत 6 से सांठ गांठ करके विक्रय कर दिया। इस प्रकार विपक्षी सं. 1 दीनानाथ ने संस्था के साथ धोखाधड़ी, छल कपट करके भूमि बिक्री का 28,00,000रू. को हड़प लिया है। इस प्रकार उक्त मामले मे दीवानी प्रकृति का कोई विवाद नही उत्पन्न होता है। सीधे तौर पर आपराधिक मामला बनता है। उपरोक्त आधारो पर निगरानी स्वीकार करते हुए आलोच्य आदेश अपास्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

4. विपक्षीगण को नोटिस प्रेषित किये गये। विपक्षी सं. 1 लगायत 6 उपस्थित आये और विपक्षी सं. 7 की ओर से विद्वान् सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) उपस्थित आये। उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. निगरानीकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आलोच्य आदेश खिलाफ कानून एवं तथ्यो व परिस्थितियो के खिलाफ है। विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा निहित क्षेत्राधिकार का वैधानिक प्रयोग न करते हुए विधिविरूद्ध आदेश पारित किया गया है। आलोच्य आदेश से न्याय का उद्देश्य विफल होता है। विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नही किया गया है। विपक्षीगण के विरूद्ध संज्ञेय अपराध गठित होता है फिर भी विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है। विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आलोच्य आदेश हर प्रकार से खिलाफ कानून है तथा आलोच्य आदेश निरस्त कर विपक्षीगण को सुसंगत धाराओ मे विचारण हेतु तलब किए जाने हेतु निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है।

6. विपक्षीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आलोच्य आदेश पूर्णतया विधिसम्मत् है। विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए विधिसम्मत् आदेश पारित किया गया है। विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा निहित क्षेत्राधिकार का वैधानिक प्रयोग करते हुए निगरानीकर्ता द्वरा प्रस्तुत परिवाद को अंतर्गत धारा 203 निरस्त किया गया है। अतः निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

7. निगरानीकर्ता/परिवादी का परिवादपत्रानुसार कथन है कि परिवादी द्वारा डिग्री कालेज अम्बर कोमिल प्रसाद महाविद्यालय के संचालन हेतु गाटा संख्या 185 रकबा 0.7980हे. भूमि कोमिल पुत्र विलासी से जरिये दानपत्र रजिस्टर्ड बैनामा ली थी तथा भूमि पर कमेटी के माध्यम से निर्माण कार्य कराने की प्रक्रिया को शुरू करा दिया था। इसके उपरान्त दीनानाथ कश्यप, जो कि कमेटी के प्रबंधक है, नें निगरानीकर्ता/परिवादी की संस्था के साथ धोखाधड़ी करते हुए गाटा संख्या 185 रकबा 0.7980हे. का बैनामा विपक्षीगण सलीम, अकील, नदीम, सद्दाम तथा श्रीमती इदरीस बेगम के साथ सांठगांठ करके सलीम, नदीम, सद्दाम व इदरीस बेगम के हक मे करा दिया। निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा अपने परिवादपत्र के समर्थन में स्वयं का बयान अंतर्गत धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं साक्षीगण जयंती प्रसाद व हेमराज का बयान अंतर्गत धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता कराया गया है। विद्वान् मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष देते हुए कि मामला सिविल प्रकृति का है और परिवादी को सिविल न्यायालय मे बैनामे के संबंध मे दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त कर दिया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी सं. 1 द्वारा, बिना परिवादी/निगरानीकर्ता की सहमति के, अन्य विपक्षीगण के पक्ष में एक ऐसी भूमि का बैनामा निष्पादित किया गया है जो कि पहले से एक महाविद्यालय के संचालन हेतु निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा ली गई थी। परिवादी के साक्ष्य अंतर्गत धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं साक्षीगण के बयान अंतर्गत धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता में इस प्रकार का कोई अंतर्विरोध नही है जो घटना को संदिग्ध बनाता हो। इस प्रकार विपक्षीगण का यह कथित कृत्य प्रथमदृष्टया आपराधिक प्रकृति का है और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के समस्त अवयवों की पूर्ति करते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 की कोटि मे आता है क्योकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 प्रावधानित करती है कि–

> ''जो कोई छल करेगा, और तद्द्वारा उस व्यक्ति को, जिसे प्रवंचित किया गया है, बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को, या किसी चीज को, जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है, और जो मूल्यवान प्रतिभूति मे संपरिवर्तित किए जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे, या नष्ट कर दे, वह दोनो मे से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।''

इस प्रकार इस स्तर पर पत्रावली पर विपक्षीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत विचारण हेतु आहूत किए जाने के सम्बन्ध मे प्रथमदृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है और विद्वान् मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिया गया निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है।

8. इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन किये बिना व उन पर विवेचना किये बिना पारित किया गया है । अतः उक्त आदेश यथावत रहने योग्य नहीं है और प्रस्तुत निगरानी तद्नुसार स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

निगरानी तद्नुसार स्वीकार की जाती है। विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉकित 01.05.2025 निरस्त किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त आदेश मे की गयी विवेचना के आधार पर पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार कर व उनकी विवेचना कर पुनः यथोचित आदेश पारित किया जाना सुनिश्चित करें ।

निर्णय की प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अबिलम्ब विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाये।

दिनांक–01.07.2026

(महेन्द्र श्रीवास्तव)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं0–1, पीलीभीत।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक–01.07.2026

(महेन्द्र श्रीवास्तव)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं0–1, पीलीभीत।